न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2018

अनवान :

1. रजनीश कुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. सुलतानसिह पुत्र श्री हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील बालसमंद जिला हिसार (हरियाणा)
2. राजेश कुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**
वकील श्री रोहताश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :** 16·5·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 165/166 के खसरा सं0 67 की 14.4550 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 545–4/5 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 3.4521 है0 खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में हक तर्क कर दिया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम गांव घुड़साल में ओर कृषि भूमि है। गांव घुडसाल की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 कोई हक व हिस्सा नहीं ले रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी रजनीश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढ़ड़ा खाता सं0 165/166 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी ग्राम गढ़ड़ा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी

का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम गढ़डा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी ग्राम गढ़ड़ा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा हरदवारी पि0मु0 लिखमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सुलतान के वारिसान में दो पुत्र रजनीश कुमार व राजेश कुमार होना इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 165/166 के खसरा सं0 67 की 14.4550 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 545-4/5 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 3.4521 है0 खातेदारी दर्ज है से प्रतिवादी सं0 1 सुलतान का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2018

अनवान :

1. रजनीश कुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. सुलतानसिह पुत्र श्री हरद्वारीलाल जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील बालसमंद जिला हिसार (हरियाणा)
2. राजेश कुमार पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 165/166 के खसरा सं0 67 की 14.4550 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 545–4/5 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 3.4521 है0 खातेदारी दर्ज है से प्रतिवादी सं0 1 सुलतान का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)